न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 261 / 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 428

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
फकीर खां पुत्र रिमजू खां जाति मुसलमान निवासी मेडीवासन भाखरसर तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.उम्मेदाराम पुत्र पुनमाराम 2.भंवराराम पुत्र पुनमाराम 3.मदाराम पुत्र पुनमाराम जाति जाट निवासी लूणावास कलां तहसील लूणी जिला जोधपुर 4. चांदवानो पत्नी सदाम हुसैन 5.सदाम पुत्र आसीन खां जाति मुसलमान निवासी रिछोली तहसील पचपदरा 6.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 से 3
3. विप्रार्थी संख्या 4 व 5 एकपक्षीय
4. विप्रार्थी संख्या 06 अनुपरिथत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

आदेश

दिनांक 02/8/24

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भाखरसर तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 4098 अवस्थित रहा,जिसके नये खसरा संख्या 4098 / 1 वर्तमान खसरा संख्या 4192 / 4098 व 4191 / 4098 बने,जिसमें से खसरा संख्या 4192 / 4098 प्रार्थी की खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि तरमीम शुदा अवस्थित थी,लेकिन तहसील स्तर पर आन–लाईन तरमीम सेग्रीगेशन कार्य के दौरान विवादित भूमि की तरमीम बिना किसी आदेश के खसरा संख्या 4098 नये खसरा संख्या 4191 / 4[illegible] के [illegible] की तरमीम अंकित कर दी,इस प्रकार जो खसरा नम्बर प्रार्थी के खातेदारी [illegible] खसरा संख्या 4098,4099,4103 के मध्य की हुई थी,को हटा कर वर्तमान खसरा संख्या 4335 / 4103,4191 / 4098,4[illegible] के मध्य कर दी,जबकि ऐसा करने का कोई आधार विघमान नहीं था। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि की विदयमान तरमीम को निरस्त किया जाकर पूर्व की भांति लटठा ट्रेस में

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:11:24 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज पड़ौसी खसरा संख्या 4098,4099 व 4103 में मध्य तरमीम दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र गहलोत की ओर से विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की तरफ से वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए विप्रार्थी की तरफ से इकबाली जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 4 व 5 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई। विप्रार्थी संख्या 06 को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया।

3.हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम भाखरसर तहसील पचपदरा की मूल खसरा संख्या 4098 अवस्थित रहा,जिसके नये खसरा संख्या 4098/1 वर्तमान खसरा संख्या 4192/4098 व 4191/4098 बने,जिसमें से खसरा संख्या 4192/4098 प्रार्थी की खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि तरमीम शुदा अवस्थित थी,लेकिन तहसील स्तर पर आन–लाईन तरमीम सेग्रीगेशन कार्य के दौराने विवादित भूमि की तरमीम बिना किसी आदेश के खसरा संख्या 4098 नये खसरा संख्या 4191/4098 के भाग की तरमीम अंकित कर दी,इस प्रकार जो खसरा संख्या प्रार्थी के खातेदारी के थे,जिसकी तरमीम पड़ौसी खसरा संख्या 4098,4099,4103 के मध्य की हुई थी,को हटा कर वर्तमान खसरा संख्या 4335/4103,4191/4098,4105 के मध्य कर दी,जबकि ऐसा करने का कोई आधार विघमान नहीं था,लेकिन राजस्व रेकर्ड में गलत तरमीम होने के कारण विप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने पर उतारू है तथा प्रार्थी को आए दिन कब्जा को लेकर वाद विवाद करते रहते है,जबकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पूर्व में लटठा नक्शा में हो रखी तरमीम अनुसार प्रार्थी का मौके पर कब्जा–काश्त है,लेकिन सेग्रीगेशन तरमीम कार्य के दौराने प्रार्थी की खातेदारी भूमि की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत किए जाने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। अन्त में निवेदन किया कि विवादित आराजी की विदयमान तरमीम निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट मुताबिक तरमीम दुरस्ती की जावें।

4.विप्रार्थी संख्या 1 से 3 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित आराजी की तरमीम दुरूस्त की जाती है,तो आपति नहीं है।

5.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात एवं मौका [illegible] गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। [illegible] कि विवादित आराजी की खसरा संख्या 4192/4098 प्रार्थी की खातेदारी एवं खसरा [illegible] 4191/4098 विप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी में अवस्थित है। नामान्तकरण संख्या 71[illegible] पुश्त पर अंकित नजरी तरमीम एवं विदयमान नक्शा ट्रेस तरमीम में भिन्नता है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजी की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है। जिसकी ताईद उप तहसीलदार पाटोदी ने अपनी मौका जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:11:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

रिपोर्ट में स्पष्ट की है कि विवादित आराजी की तरमीम मौका स्थिति के विपरीत हो रखी है तथा प्रस्तावित नक्शा मुताबिक तरमीम दुरूस्त किए जाने की अनुशंषा भी गई है। प्रार्थी ने बखूबी अपने आवेदन पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित भी किया है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

06.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्राथी विवादित भूमि की तरमीम दुरूस्ती करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का आवेदन—पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम—भाखरसर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 4192/4098 व 4191/4098 भूमि की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर उप तहसीलदार पाटोदी की मौका जांच रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा मुताबिक तरमीम दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना सुनिश्चित करावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 02/8/2024 को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:11:24 IST
Reason: SelfAttested